

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या: 2390
उत्तर देने की तारीख: 10.12.2024

एनएसएफडीसी के अंतर्गत लाभार्थी

2390. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश विशेषकर डॉ. बी. आर. अम्बेडकर कोनासीमा में एनएसएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों विशेषकर महिला लाभार्थियों की योजना-वार, वर्ष-वार, राज्य-वार और जिला-वार संख्या कितनी है;
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश विशेषकर डॉ. बी. आर. अम्बेडकर कोनासीमा में एनएसएफडीसी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत योजना-वार कुल कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई;
- (ग) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश विशेषकर डॉ. बी. आर. अम्बेडकर कोनासीमा में एनएसएफडीसी के अंतर्गत वर्ष-वार, राज्य-वार जिला-वार किस प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए;
- (घ) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश विशेषकर डॉ. बी. आर. अम्बेडकर कोनासीमा में एनएसएफडीसी के अंतर्गत आयोजित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थियों विशेषकर महिला लाभार्थियों की वर्ष-वार, राज्य-वार, जिला-वार संख्या कितनी है; और
- (ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री दक्ष योजना के कार्यान्वयन के लिए एनएसएफडीसी द्वारा वर्ष-वार राज्य-वार, जिला-वार कुल कितनी धनराशि संचित की गई?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) विभिन्न सावधि ऋण, सूक्ष्म वित्त और शैक्षिक ऋण योजनाओं को क्रियान्वित करता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों, विशेषकर महिला लाभार्थियों की संख्या का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान एनएसएफडीसी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों (आंध्र प्रदेश सहित) को स्वीकृत ऋणों की वर्षवार कुल राशि अनुबंध-II में दी गई है। एनएसएफडीसी द्वारा जिला-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) से (ड.): वर्ष 2020-21 से, एनएसएफडीसी ने प्रधानमंत्री-दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना लागू की है, जो अनुसूचित जातियों (एससी) की रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से निम्नलिखित चार प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है:

- (i) 2-5 माह/200-500 घंटे की अवधि वाले लघु-अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसटीटी)।
- (ii) 6-12 महीने/600-1000 घंटे की अवधि वाले दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एलटीटी)।
- (iii) 15 दिन/90 घंटे तक की अवधि वाले उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)।
- (iv) 35 दिन/35-60 घंटे तक की अवधि के साथ अप-स्किलिंग/री-स्किलिंग।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान आंध्र प्रदेश में पीएम-दक्ष योजना के अंतर्गत एनएसएफडीसी द्वारा वितरित कुल धनराशि का राज्य-वार और जिला-वार विवरण अनुबंध-III में दिया गया है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान एनएसएफडीसी ऋण योजनाओं के तहत
राज्य-वार लाभार्थी (महिलाओं सहित)

क्र.सं.	राज्य	लाभार्थी (संख्या)	
		कुल	महिलाएं
1	अंडमान और निकोबार	1	0
2	आंध्र प्रदेश	24032	16609
3	अरुणाचल प्रदेश	2	1
4	असम	1014	391
5	बिहार	7908	3124
6	चंडीगढ़	165	88
7	छत्तीसगढ़	1039	353
8	दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव	3	0
9	दिल्ली	666	244
10	गोवा	11	2
11	गुजरात	5484	3494
12	हरियाणा	5396	2522
13	हिमाचल प्रदेश	3635	2749
14	जम्मू एवं कश्मीर	1402	667
15	झारखंड	2150	812
16	कर्नाटक	23057	9403
17	केरल	19622	14148
18	लद्दाख	0	0
19	लक्षद्वीप	1	0
20	मध्य प्रदेश	5365	1557
21	महाराष्ट्र	12433	6445
22	मणिपुर	54	30
23	मेघालय	2	1
24	मिजोरम	1	0
25	नागालैंड	7	3
26	ओडिशा	2803	1095
27	पुडुचेरी	6539	3765
28	पंजाब	17626	6624
29	राजस्थान	20543	8130
30	सिक्किम	122	51
31	तमिलनाडु	47424	24127
32	तेलंगाना	12269	9485
33	त्रिपुरा	7035	3532
34	उत्तर प्रदेश	33386	8834
35	उत्तराखंड	668	262
36	पश्चिम बंगाल	161686	159726
	कुल योग:	423551	288274

एनएसएफडीसी योजनाओं के तहत ऋण की राज्य-वार स्वीकृति
(2019-20 से 2023-24)

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-24	कुल स्वीकृति
1	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00	0.82
2	आंध्र प्रदेश	6183.58	272.70	2313.58	1491.60	8781.65	19043.11
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	1.84	0.00	0.00	1.84
4	असम	17.25	23.79	4.00	16.79	363.51	425.34
5	बिहार	100.76	57.72	44.77	1495.78	1111.46	2810.49
6	चंडीगढ़	12.02	30.82	2.54	29.25	19.83	94.46
7	छत्तीसगढ़	40.06	1283.60	181.87	761.71	403.87	2671.11
8	दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव	0.27	0.00	4.99	0.21	0.00	5.47
9	दिल्ली	793.94	714.85	42.05	239.68	35.73	1826.25
10	गोवा	8.84	11.19	0.76	25.50	66.29	112.58
11	गुजरात	5032.19	3407.34	235.52	6308.78	62.43	15046.26
12	हरियाणा	429.05	1789.90	1141.42	423.06	1615.29	5398.72
13	हिमाचल प्रदेश	1147.18	651.24	93.04	308.26	617.50	2817.22
14	जम्मू एवं कश्मीर	636.12	828.00	1500.19	2036.68	13.56	5014.55
15	झारखंड	45.28	33.53	0.37	679.65	90.88	849.71
16	कर्नाटक	7807.88	7476.59	12175.88	7346.54	2785.90	37592.79
17	केरल	3391.25	9990.45	5737.17	3890.39	7920.82	30930.08
18	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.46
20	मध्य प्रदेश	1400.92	2552.39	981.98	56.53	598.62	5590.44
21	महाराष्ट्र	13261.43	1185.61	1296.51	3571.52	12350.33	31665.40
22	मणिपुर	0.00	12.08	1.05	51.59	2.03	66.75
23	मेघालय	0.00	0.00	0.00	1.82	1.01	2.83
24	मिजोरम	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31
25	नागालैंड	0.00	5.42	1.28	7.40	0.00	14.10
26	ओडिशा	414.08	795.66	64.20	404.47	389.78	2068.19
27	पुडुचेरी	474.38	421.74	444.07	2594.19	2670.45	6604.83
28	पंजाब	3418.18	2729.38	3483.71	4999.02	10723.47	25353.76
29	राजस्थान	6044.41	1280.04	4338.90	5698.32	2583.60	19945.27

30	सिक्किम	0.00	99.00	103.13	105.52	130.02	437.67
31	तमिलनाडु	34105.35	6744.99	13068.93	7538.91	15224.04	76682.22
32	तेलंगाना	5720.91	2111.30	58.08	11333.41	506.20	19729.90
33	त्रिपुरा	3004.39	5265.00	1248.92	1212.65	979.45	11710.41
34	उत्तर प्रदेश	17863.69	5417.40	2348.70	5263.28	12234.44	43127.51
35	उत्तराखंड	152.07	0.34	171.43	14.91	329.46	668.21
36	पश्चिम बंगाल	3262.76	7534.49	6354.68	5972.02	2400.01	25523.96
	कुल योग:	114768.24	62726.87	57446.84	73879.44	85011.63	393833.02

क. वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान पीएम-दक्ष योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के लाभार्थियों (महिलाओं सहित) की राज्य-वार संख्या

वित्तीय वर्ष	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थी (संख्या)	महिला लाभार्थी (संख्या)	प्रशिक्षण संस्थानों को जारी की गई धनराशि (रुपए लाख में)
2020-21	आंध्र प्रदेश	260	142	51.60
	असम	235	155	29.24
	बिहार	590	127	49.67
	छत्तीसगढ़	68	12	9.88
	दिल्ली	70	53	9.53
	गुजरात	396	66	53.54
	हरियाणा	200	97	34.14
	हिमाचल प्रदेश	140	101	17.96
	जम्मू और कश्मीर	110	62	11.38
	झारखंड	60	0	0.00
	कर्नाटक	264	224	21.93
	केरल	244	130	77.72
	मध्य प्रदेश	866	452	213.03
	महाराष्ट्र	370	230	50.99
	मणिपुर	60	60	13.00
	ओडिशा	270	198	34.74
	पुडुचेरी	31	5	0.92
	पंजाब	690	463	77.96
	राजस्थान	419	204	56.42
	तमिलनाडु	276	149	28.70
	तेलंगाना	180	94	35.01
	त्रिपुरा	25	17	1.08
	उत्तर प्रदेश	1860	1050	248.75
	उत्तराखंड	120	92	14.33
	पश्चिम बंगाल	260	119	26.63
	कुल	8064	4302	1168.14
2021-22	आंध्र प्रदेश	675	306	102.57
	असम	250	155	36.05
	बिहार	1187	753	155.60
	छत्तीसगढ़	243	74	47.37
	दिल्ली	111	91	18.02
	गुजरात	514	323	55.83
	हरियाणा	545	298	67.95
	हिमाचल प्रदेश	210	124	50.54

	जम्मू और कश्मीर	270	211	31.03
	झारखंड	300	180	22.22
	कर्नाटक	843	698	74.47
	केरल	313	78	85.18
	मध्य प्रदेश	1247	721	338.68
	महाराष्ट्र	753	395	125.76
	मणिपुर	109	52	24.40
	ओडिशा	555	227	87.24
	पुडुचेरी	17	2	0.00
	पंजाब	1124	779	179.49
	राजस्थान	798	530	96.92
	तमिलनाडु	505	320	73.94
	तेलंगाना	279	220	14.07
	त्रिपुरा	90	33	20.26
	उत्तर प्रदेश	3749	2396	484.49
	उत्तराखंड	309	269	27.69
	पश्चिम बंगाल	1399	892	124.26
	कुल	16395	10127	2344.03
2022-23	आंध्र प्रदेश	429	205	119.92
	असम	633	388	75.51
	बिहार	424	191	75.76
	चंडीगढ़	110	57	13.44
	छत्तीसगढ़	75	23	14.78
	दिल्ली	191	175	51.62
	गोवा	100	98	13.71
	गुजरात	170	142	33.26
	हरियाणा	315	181	64.64
	हिमाचल प्रदेश	359	283	58.71
	जम्मू और कश्मीर	527	428	84.04
	झारखंड	230	177	38.64
	कर्नाटक	350	329	45.94
	केरल	90	31	28.65
	मध्य प्रदेश	1605	1127	352.42
	महाराष्ट्र	417	195	90.63
	मणिपुर	143	133	33.23
	ओडिशा	90	47	12.54
	पंजाब	1189	781	306.41
	राजस्थान	495	237	112.85
	तमिलनाडु	235	232	26.38
	तेलंगाना	60	59	10.89
	त्रिपुरा	80	17	34.93
	उत्तर प्रदेश	947	642	205.67
	उत्तराखंड	187	144	29.25

पश्चिम बंगाल	923	600	78.74
कुल	10374	6922	2012.57
आंध्र प्रदेश	190	62	13.88
असम	1198	674	48.75
बिहार	841	481	26.06
छत्तीसगढ़	153	84	0.00
दिल्ली	143	122	9.02
गुजरात	266	141	16.01
हरियाणा	669	391	54.03
हिमाचल प्रदेश	300	152	17.15
जम्मू और कश्मीर	180	98	6.46
झारखंड	373	314	18.99
कर्नाटक	925	538	30.24
केरल	25	3	5.88
लद्दाख	30	25	0.00
मध्य प्रदेश	6231	3970	207.84
महाराष्ट्र	3773	2482	188.91
ओडिशा	385	241	36.41
पुडुचेरी	30	30	1.32
पंजाब	1038	598	97.27
राजस्थान	2989	2126	100.40
तमिलनाडु	1415	1254	62.74
तेलंगाना	510	395	63.78
त्रिपुरा	202	122	6.79
उत्तर प्रदेश	8144	5347	366.50
उत्तराखंड	570	391	41.56
पश्चिम बंगाल	80	62	3.24
कुल	30660	20103	1423.23

ख. वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक आंध्र प्रदेश राज्य में पीएम-दक्ष योजना के तहत जिला-वार लाभार्थियों (महिलाओं सहित) की संख्या

वित्तीय वर्ष	ज़िला	लाभार्थियों की कुल संख्या	महिला लाभार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण संस्थानों को जारी की गई धनराशि (रुपए लाख में)
2020-21	चित्तूर	60	42	12.15
	गुंटूरू	90	24	5.71
	काकीनाडा	60	36	28.67
	विशाखापत्तनम	50	40	5.07
2021-22	अनंतपुर	196	78	10.45
	चित्तूर	150	98	27.54
	गुंटूरू	100	32	5.10
	कृष्णा	80	5	44.57
	श्रीकाकुलम	71	59	6.03
	विशाखापत्तनम	78	34	8.88
2022-23	चित्तूर	130	95	42.68
	कुरनूल	109	46	15.75
	प्रकाशम	60	29	8.75
	विजयवाड़ा	40	7	39.61
	विजयनगरम	90	28	13.13
2023-24	चित्तूर	30	26	0.00
	गुंटूरू	60	0	3.70
	कृष्ण	40	4	6.22
	श्री सत्यसाई	60	32	3.95
